06/1/26

पत्रावली वास्ते लिंक पेश हुई। उपरोक्त प्र-
उपत्र वार वारी) स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
लिंक आदेश से किया जाकर शामिल किया
गया। फाइल जरिये डाक नंबर से कमबा
लिंक सुनाया गया।

GCMS
2016/00050

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवम् उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

बइजलासः—श्री भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 81/2016 प्रविष्टि दिंनाक 22.04.2016

GCMS:- 2016/00050

रामचन्द्र पुत्र श्री रणजीत जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

............वादी

बनाम

1. श्री ओमबिष्णु पुत्र श्री बीझाराम जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि शाखा सूरतगढ।
3. श्रीमान तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

........प्रतिवादीगण

उपिस्थिति :—

1. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक (वादी)
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक (प्रतिवादी नं0 1)
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार स्वयं उपस्थित (प्रतिवादी नं0 3)

निर्णय

दिंनाकः— 06.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने इस न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188—209 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 2 डीओ बी खाता नं0 78/71 प0न0 4/61 कि0न0 1/2 ता 4, 10 ता 22/1 कुल 9—00 बीघा तादादी 2.189 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज हैं। जमाबंदी संलग्न पत्रावली हैं। वादी उक्त भूमि को स्वयं काश्त करता हैं। गिरदावरी सम्वत् 2068—2069—2070—2071 शामिल पत्रावली हैं। उक्त भूमि को वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 2 के रहन रखकर ऋण भी प्राप्त किया हुआ हैं। प्रतिवादी नं0 1 विवादित भूमि में से चक 2 डीओ बी प0न0 4/61 कि0न0 10, 11, 20, 21/1, 22/1 = 1.215 है0 यानि 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपने पिता के आंवटन से शेष सरप्लस भूमि बताकर कब्जा करने की धमकी देता रहता हैं। जबकि प्रतिवादी नं0 1 का जैरवाद भूमि पर कोई कानून सम्मत अधिकार नही हैं।

यह कि विवादित भूमि पृथ्वीराज पुत्र श्री बीरबलराम को कीमतन पुख्ता आंवटन की गई थी। श्री पृथ्वीराज ने समस्त किश्ते जमा करवाकर खातेदारी सनद दिनांक 23.09.1997 को प्राप्त की तत्पश्चात् पृथ्वीराज ने जरिये बैयनामा दिनांक 15.04.1998 [illegible] को बैचान कर कब्जा सम्हला दिया। अतः वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं मौके पर काबिज [illegible] है। इसलिये प्रतिवादी नं0 1 ओमबिष्णु के खिलाफ शाश्वत् स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] प्रतिवादी नं0 1 ने गत दिनांक 18.04.2016 को मुझ वादी को ग्राम भोपालपुरा में पंचायत के समक्ष [illegible] विवादित रकबा पर कब्जा करने की धमकी दी हैं। अगर प्रतिवादी नं0 1, प्रतिवादी नं0 3 से मिलकर वादी की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करवाकर कब्जा करना चाहता हैं।

...............लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:30:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

अगर प्रतिवादीगण इसमें कामयाब हो गये तो वादी का वादपत्र बेसुद्व हो जायेगा। अतः वाद पत्र के माध्यम से वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ राजस्व रिकार्ड एवं मौका पर कब्जा की स्थिति यथावत् कायम रखने की शाश्वत् स्थाई निषेधाज्ञा पाने क हकदार हैं। अतः वादपत्र विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जावें।

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् बाद रिपोर्ट वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम प्रतिवादी जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री भागीरथ बिश्नोई ने दिनांक 14.06.2016 को हाजिर आकर कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 29.10.2020 को जबाबदावा मय एतराज पेश किया जो कि शामिल पत्रावली हैं। वादपत्र एवं जबाबदावा के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गईः–

1. आया कि वादी प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व वादपत्र के पेरा सं0 4 में वर्णित 4.16 बीघा भूमि बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार हैं? ....वादी
2. आया कि वादी द्वारा जैरवाद भूमि खरीद शुदा थी व बेचानकर्ता पृथ्वीराज का पुख्ता आंवटन आदेश निरस्त होने के कारण रकबा राज हैं? ....प्रतिवादीगण
3. आया जैरवाद भूमि कानूनी रूप से रकबा राज होने के कारण वादी का जैरवाद भूमि पर कब्जा काश्त रखने का अधिकार नही होने से वाद काबिल खारीजी हैं? ....प्रतिवादीगण
4. आया कि दावा सुनवाई में अधिकार क्षेत्र में नही होने से खारीज होने योग्य हैं?............प्रतिवादीगण
5. अन्य अनुतोष

उक्तानुसार तनकी कायम करने पर दिनांक 20.07.2022 को वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जो कि पी.डब्लयु.–1 हैं जिसमें वादी द्वारा अपने कथनो की पुष्टि की। जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2071 Exp-1 व गिरदवारी सम्वत् 2068 से 2071 Exp-2 हैं। जिस पर वकील प्रतिवादी नं0 1 द्वारा जिरह की गई। साक्ष्य वादी बंद किये जाने पर दिनांक 31.01.2024 को प्रतिवादी नं0 1 व गवाह विजयपाल द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये जो कि डी.डब्लयु 1–2 हैं। जिन पर वकील वादी द्वारा जिरह की गई। दोनो पक्षो के गवाहो के उपरान्त दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि जैरवाद रकबा मुझ वादी के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हैं। जो कि मेरे द्वारा जरिये बैयनामा श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री बीरबलराम से दिनांक 15.04.1998 को खरीद शुदा हैं। उक्त रकबा श्री पृथ्वीराज को कीमतन पुख्ता आंवटन की गई थी। श्री पृथ्वीराज ने समस्त किश्ते जमा करवाकर खातेदारी सनद दिनांक 23.09.1997 को प्राप्त की हैं। अतः वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं मौके पर काबिज खातेदार हैं। इसलिये प्रतिवादी नं0 1 ओमबिष्णु के खिलाफ शाश्वत् स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार हैं।

प्रतिवादी नं0 1 द्वारा जबाब दावा के तथ्यों को [illegible] निवेदन किया कि जैर विवादित रकबा प्रतिवादी नं0 1 बीझाराम को टी.[illegible] पुख्ता आंवटन सरप्लस कर दिया गया। जो पृथ्वीराज पुत्र श्री बीर[illegible] जिसकी अपील मुझ प्रतिवादी द्वारा करने पर यह रकबा खारीज कर दिया गया। [illegible] रकबा राज करने के आदेश भी धारा 144 सीपीसी के तहत इसी न्यायालय द्वारा दिये जा चुके हैं व राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी रकबा राज करने के आदेश दिये हुये हैं।

..............लगातार 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसलिये वादी द्वारा पृथ्वीराज से विवादित रकबा खरीद किया था वह स्वतः ही खारीज हो चुका हैं व रकबा राज की श्रेणी में आने से वादी का वादपत्र न चलने योग्य होने से खारीज किये जाने योग्य हैं। वादी आंवटन बहाल उपरान्त ही वाद पेश कर सकते हैं। जैरवाद भूमि में मुझ प्रतिवादी का ही हक हैं व प्रतिवादी की जैरवाद भूमि की बाबत बालिग पुत्रो में पुख्ता आंवटन की पत्रावली श्रीमानजी के समक्ष अदालत में चल रही हैं। वादी का जैरवाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही हैं। अतः वादपत्र वादी खारीज फरमाया जावें।

वादी द्वारा प्रत्युत्तर में प्रतिवादी नं0 1 कथनो का विरोध करते हुये निवेदन किया कि श्रीमानजी के द्वारा पारीत धारा 144 सीपीसी के निर्णय के खिलाफ द्वितिय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष करने पर जैरवाद भूमि में वादी के खातेदारी अधिकार माननीय राजस्व मण्डल के प्र0सं0 2406/2016 अनवान रामचन्द्र बनाम ओमबिष्णु आदि में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2020 द्वारा बहाल किये जा चुके हैं। उक्त निर्णय उपरान्त वादी जैरवाद रकबा का खातेदार कृषक हैं। मौके पर काबिज हैं। जबकि प्रतिवादी नं0 1 अतिक्रमी की हैसियत से जैरवाद भूमि में विचाराधीन बालिग पुत्र प्रकरण के तहत बैजा दखलान्दाजी हेतु तत्पर हैं। बालिग पुत्र प्रकरण में मात्र प्रतिवादी नं0 1 की पात्रता की जांच होनी हैं। जिसका निर्णय भविष्य के गर्भ में छिपा हैं। अतः भविष्य में होने वाले असम्भावित निर्णय के आधार पर वादी को वर्तमान में उसके काश्तकारी अधिकारो का प्रयोग करने से वंचित नही किया जा सकता। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बाद सुनने तर्क पक्षकारान पूर्ण पत्रावली का ध्यान पूर्वक पठन व मनन करने उपरान्त तनकीयात का कमबद्व विवेचना की गई। जो कि निम्न प्रकार से हैं:-

1. आया कि वादी प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व वादपत्र के पेरा सं0 4 में वर्णित 4.16 बीघा भूमि बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार हैं?

   इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं वादी द्वारा उक्त तनकी को राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी चक 2 डीओ बी सम्वत् 2068 से 2071 खाता नं0 78 पेश कर पूर्णतया साबित किया हैं। वादी जैरवाद भूमि का खातेदार कृषक हैं। मौके पर काबिज काश्तकार हैं। जबकि प्रतिवादी नं0 1 वर्तमान में जैरवाद भूमि में किसी किस्म का काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हैं। प्रतिवादी नं0 1 अतिक्रमी की हैसियत से वादी की खातेदारी भूमि में दखलान्दाजी करने का प्रयास कर रहा हैं। अतः उक्त तनकी बहक वादी निर्णित की जाती हैं।

2. आया कि वादी द्वारा जैरवाद भूमि खरीद शुदा थी व बैचानकर्ता पृथ्वीराज का पुख्ता आंवटन आदेश निरस्त होने के कारण रकबा राज हैं?
3. आया जैरवाद भूमि कानूनी रूप से रकबा राज होने के कारण वादी का जैरवाद भूमि पर कब्जा काश्त रखने का अधिकार नही होने से वाद का[illegible] हैं?
4. आया कि दावा सुनवाई में अधि[illegible] में [illegible] से [illegible] होने योग्य हैं?

   तनकी नं0 2 से 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर हैं। इसलिये तीनो तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जा रहा हैं। प्रतिवादी नं0 [illegible] द्वारा उक्त तीनो तनकीयात को साबित करने हेतु निर्णय दिनांक 23.10.1992, 25.03.2008 व पंत्राक कंमाक 199 दिनांक 25.05.2012 की प्रतिया पेश की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:16 IST
Reason: SelfAttested

...............लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

जबकि संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से साबित हैं कि प्रतिवादी नं0 1 के पिता को आंवटन की पात्रता की जाचं करने के पश्चात् आंवटन उपरान्त विवादित भूमि दिनांक 26.02.1975 को रकबा राज कर दी गई। बाद में उक्त आराजीराज रकबा दिनांक 26.08.1982 को आंवटी श्री पृथ्वीराज को पुख्ता आंवटन कर दिया गया। उक्त रकबा की खातेदारी सनद दिनांक 23.09.1997 को आंवटी श्री पृथ्वीराज को मिली। खातेदारी सनद मिलने पर जैरवाद रकबा जरिये बैयनामा दिनांक 15.04.1998 को वादी को बैचान कर कब्जा सम्हला दिया एवं जैरवाद रकबा को वादी द्वारा बैंक के रहन रखकर ऋण भी प्राप्त कर लिया। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा आंवटन दिनांक 26.08.1982 के विरूद्व अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जो कि दिनांक 23.10.1992 को स्वीकार कर श्री पृथ्वीराज को किया गया आंवटन निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय के खिलाफ निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गई जो कि दिनांक 21.08.1995 को स्वीकार कर पुनः प्रतिवादी नं0 1 की पात्रता की जांच करने हेतु आंवटन अधिकारी को रिमाण्ड कर दी गई। रिमाण्ड उपरान्त आंवटन अधिकारी सूरतगढ द्वारा प्रतिवादी नं0 1 को नाबालिग मानकर उसका बालिग पुत्र का प्रकरण दिनांक 21.07.1997 को निरस्त कर दिया गया। जिसके खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर दिनांक 01.10.2002 को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई। उक्त दोनो निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 द्वारा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दायर की जो कि प्र0स0 95/2002 पर दर्ज कर दोनो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त कर प्रकरण आंवटन अधिकारी सूरतगढ को रिमाण्ड कर दिया गया। आंवटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी पेश करने पर आंवटन अधिकारी सूरतगढ द्वारा विवादित रकबा को दिनांक 23.05.2012 को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। जिसके खिलाफ वादी द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई जो कि दिनांक 17.03.2016 को खारीज कर दी गई। दोनो निर्णय से व्यथित होकर वादी द्वारा द्वितिय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की जो कि दिनांक 08.01.2020 को स्वीकार कर दोनो न्यायालयो के निर्णय निरस्त कर वादी के खातेदारी अधिकार बहाल कर दिये गये। जो कि आज भी कायम है। मौके पर रकबा खातेदारी दर्ज होकर बैंक के रहन हैं। प्रतिवादी नं0 1 तनकी नं 2 से 4 को साबित करने में असफल रहें हैं। अतः तनकी नं0 2 से 4 विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती हैं।

5. अन्य अनुतोष

तनकी नं0 1 बहक वादी एवं तनकी नं0 2 से 4 विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित किये जाने पर तनकी नं0 5 वादी के पक्ष में निर्णित की जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त तनकीवार विवेचना के आधार पर वा[illegible]कार किया जाता हैं एवं स्थाई व्यादेश विरूद्व प्रतिवादीगण जारी किया [illegible] डीओ बी खाता नं0 78/71 प0न0 4/61 कि0न0 1/2 ता[illegible] 4, 10 ता 22/1 [illegible]—00 बीघा तादादी 2.189 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में वादी [illegible] प्रकार की स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कोई दखलादांजी ना करें। राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन ना करें। इस आशय की डिक्री जारी होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
(भरत जयप्रकाश मीनो, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:परचा डिक्री:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

बइजलास:–श्री भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 81/2016 प्रविष्टि दिंनाक 22.04.2016

रामचन्द्र पुत्र श्री रणजीत जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ....वादी

बनाम

1. श्री ओमबिष्णु पुत्र श्री बीझाराम जाति बिश्नोई निवासी भोपालपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर कृषि शाखा सूरतगढ।
3. श्रीमान तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

........प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वादपत्र धारा 188–209 आरटीए मुकदमा नं0 81 वर्ष 2016 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री राकेश सारस्वत एवं प्रतिवादी नं0 1 श्री भागीरथ बिश्नोई व प्रतिवादी नं0 3 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर वाद पत्र स्वीकार कर हुक्म दिया जाता हैं व डिक्री जारी की जाती हैं कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं एवं स्थाई व्यादेश विरूद्व प्रतिवादीगण जारी किया जाता हैं कि वे खातेदारी भूमि चक 2 डीओ बी खाता नं0 78/71 प0न0 4/61 कि0न0 1/2 ता 4, 10 ता 22/1 कुल 9–00 बीघा तादादी 2.189 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में वादी की कब्जा काश्त में किसी प्रकार की स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कोई दखलादांजी ना करें। राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन ना करें।

नोज.........×............ मुबलिग.........×............बाबत.........×............ खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह.........×............फस्दो की पालना ....×............आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 06.01.2026...... को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
(भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ